

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

M/s Pawan Kumar Choubey (सूचीबद्धता सं०-221220230517) को कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व के कार्यालय आदेश संख्या-108, दिनांक-01.08.2025 के द्वारा किये गये डिबार के विरुद्ध दायर अपील अभ्यावेदन पर दिनांक-26.12.2025 को सुनवाई के संबंध में।

26.12.2025

आदेश

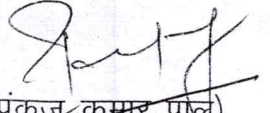
M/s Pawan Kumar Choubey, लक्ष्मीपुर, गुरु बाजार, बरारी, जिला-कटिहार, (सूचीबद्धता सं०-221220230517) एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व उपस्थित।

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व अंतर्गत M/s Pawan Kumar Choubey (सूचीबद्धता सं०-221220230517) को क्षेत्रान्तर्गत राज्य योजना अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित पंचायतों के वार्डों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु जलापूर्ति योजना के मरम्मति एवं सम्पोषण से संबंधित आवंटित कार्य में एकरारनामा संख्या- SBD-38/2024-25 के तहत आवंटित कार्य के एकरारनामा में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य के प्रति अभिरुचि नहीं लिये जाने के कारण, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व द्वारा अपने कार्यालय के आदेश संख्या-108, दिनांक-01.08.2025 द्वारा डिबार किया गया।

संवेदक द्वारा मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात् क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-1095 दिनांक-18.08.25 के द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर अंतर्गत उक्त एकरारनामा से संबंधित संवेदक को डिबार मुक्त करने हेतु अनुशंसा किया गया। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक-26.08.2025 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा इस मामले की सुनवाई की गयी, जिसके क्रम में दिये गये निदेश के आलोक में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-4170, दि०-19.12.2025 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि योजना में व्याप्त त्रुटि को दूर कर दिया गया है एवं पर्याप्त मरम्मति दल रख कर मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य कराया जा रहा है। साथ ही संवेदक को डिबार से मुक्त करने की पुनः अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में दिनांक-26.12.2025 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा इस मामले की पुनः सुनवाई की गयी, जिसमें संवेदक तथा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व के द्वारा भाग लिया गया। सुनवाई के क्रम में संवेदक द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि संवेदक के द्वारा एकरारनामा में निहित शर्तों के तहत आवंटित कार्य में सम्यक अभिरुचि नहीं लेने के कारण संवेदक को डिबार किया गया था। तत्पश्चात्, कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि डिबार करने के बाद संवेदक के द्वारा अनुरक्षण नीति अंतर्गत निर्धारित मानक के अनुरूप मरम्मति एवं सम्पोषण का कार्य किया जा रहा है।

अतः क्षेत्रीय पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर के कार्यालय आदेश संख्या-108, दिनांक-01.08.2025 के द्वारा संवेदक M/s Pawan Kumar Choubey (सूचीबद्धता सं०-221220230517) को अगली निविदा में भाग लेने से डिबार करने संबंधी आदेश को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है।


(पंकज कुमार पॉल)
सचिव

ज्ञापांक-12/वि0-150/2025- 12

पटना, दिनांक- 01.01.26

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अमर
01.01.26

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि0-150/2025- 12

पटना, दिनांक- 01.01.26

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता,/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0 टी0 मैनेजर को निदेश है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

अमर
01.01.26

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Speed Post/
Email

ज्ञापांक-12/वि0-150/2025- 12

पटना, दिनांक- 01.01.26

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पूर्व/संवेदक, M/s Pawan Kumar Choubey, लक्ष्मीपुर, गुरु बाजार, बरारी, जिला-कटिहार,(सूचीबद्धता सं0-221220230517) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अमर
01.01.26

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि0-150/2025- 12

पटना, दिनांक- 01.01.26

प्रतिलिपि-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अमर
01.01.26

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)